Form No.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत — न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीकानेर
मूलचंद —बनाम— हड़मानाराम

किस्म मुकदमा :— 75 एलआरए नं0 06/2012

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
8/06/18	पत्रावली पेश हुई। बकुलाय फरीकेन उपस्थित। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण अपील सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। अपीलार्थी मूलचंद पुत्र माणकचंद जाति जाट निवासी कालासर तहसील बीकानेर ने यह अपील आज्ञा सरपंच कतरियासर बीकानेर दिनांक 05.10.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसमें अपीलांट का नाम इन्तकाल से हटाया जाकर रेस्पोडेंट हड़मानराम पुत्र पन्नाराम जाति जाट निवासी ग्राम बन्धा तहसील बीकानेर का नाम अंकित किया गया। इन्तकाल तस्दीक करने को अतिरिक्त संभागीय आयुक्त विभाग, बीकानेर के निर्णय दिनांक 02.09.2009 को आधार बनाया गया है। जवकि इस निर्णय के विरूद्ध अपीलांट ने रिवीजन माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में प्रस्तुत कर दी थी। अपीलार्थी का यह भी अभिकथन हैं कि इसी जमीन को लेकर प्रत्यर्थी ने एक वाद हड़मान विरूद्ध हरिराम व अन्य एक न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीकानेर की अदालत में प्रस्तुत कर रखा है, जिसमें दिनांकः 10.01.2011 के आदेश से अस्थायी निषेधाज्ञा वाद के अंतिम निस्तारण तक पुख्ता करने का आदेश न्यायालय द्वारा दिया जा चुका था तो स्थगन आदेश के चलते कोई नामान्तरकरण तस्दीक किया ही नहीं जा सकता। अतः अपील मंजूर की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांकः 05.10.2011 खारिज फरमाया जावे।	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

पत्रावली का अवलोकन करने से यह तथ्य प्रकट है कि प्रश्नगत भूमि को लेकर पक्षकारान के मध्य नियमित वाद न्यायालय में जैरकार हैं, जब नियमित वाद लंबित हो, जिसमें पक्षकारान के हकों का निस्तारण हो जायेगा तो ऐसी स्थिति में इस अपील की कार्यवाही को आगे चलाया जाना समुचित नहीं हैं। अपील कार्यवाही को वाद के अंतिम निपटाने तक स्थगित रखे जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

(नानूराम सैनी)
उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner